राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– **2055/2024**

डॉ. सिद्धार्थ शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय, जयपुर राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक :– 26.06.2024

समक्ष :– **अनन्त भंडारी ,सदस्य(न्यायिक)**
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री तनवीर अहमद उपस्थित।
2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी सह आचार्य (Anaesthesia) के पद पर एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में स्थानान्तरण किया गया है। उक्त आदेश की अनुपालना में कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 08.06.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी को सह आचार्य से आचार्य के पद पर पदोन्नति दी गयी थी, परन्तु फिर भी अपीलार्थी को सह आचार्य मानते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण मेडिकल कॉलेज, बीकानेर किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी के पास पीजी के विद्यार्थी अध्ययनरत है। अपीलार्थी के स्थानांतरण से अपीलार्थी के पास अध्ययनरत पीजी के विद्यार्थीयों के अध्ययन पर विपरीत असर पडेगा।
4. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

5. हम पाते है कि अपीलार्थी को जो पदोन्नति आचार्य के पद पर दी गयी थी, वह अस्थायी पदोन्नति है, जो अपीलार्थी को पातेय वेतन पर मेडिकल कॉलेज, जयपुर में दी गयी थी। अपीलार्थी को आचार्य के पद पर नियमित पदोन्नति नहीं दी गयी है। वर्तमान में अपीलार्थी नियमित रूप से सह आचार्य के पद पर ही है। ऐसे में अपीलार्थी का सह आचार्य के रूप में स्थानान्तरण किये जाने में हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। साथ ही हम यह भी नहीं पाते है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत पीजी विद्यार्थियों के अधीन अध्यापन में कोई विपरीत असर पडेगा। नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि वह किस कार्मिक की सेवाए किस स्थान पर प्राप्त करें। उक्त निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक वह निर्णय दुर्भावनापूर्वक एवं विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।
6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)